न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 12/2025

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

श्री सुभाष सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी, मैसर्स शिव मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट, मण्डावा, जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः–

1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर से ....अनावेदक स्वयं।

–निर्णय– **दिनांक :** 28.2.25

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार हैः– कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 27.10.2024 को मैसर्स शिव मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट, मण्डावा, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री सुभाष सैनी पुत्र श्री भवंर लाल सैनी उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.03.05 11:56:18 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर एक एल्युमिनियम के टब में करीबन 15 किलोग्राम खोया आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ खोया में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ खोया के सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard Food) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी मैन मार्केट, मण्डावा झुन्झुनू में मैसर्स शिव मिष्ठान भण्डार के नाम से दुकान है। जहां वह मिठाईयां तथा मावा तैयार कर बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ खोया का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टैण्डर्ड फुड (Sub-standard Food) पाया गया है। अनावेदक ने कथन किया कि वह आगे से अच्छी क्वालिटी के मावा का प्रयोग करेगा तथा अपनी दुकान में साफ–सफाई का पूर्ण ध्यान रखेगा। अतः उसके विरूद्ध कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को खारिज किया जावे।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा [illegible] के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब व बहस पर [illegible]पूर्वक अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.03.05 11:56:18 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 **एल.एस./4644/एक्ट/2024/4664 दिनांक 26.11.2024** के अनुसार खाद्य पदार्थ खोया सब–स्टैण्डर्ड फुड (Sub-standard Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस. ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक ने उक्त खाद्य पदार्थ खोया किसी अन्य फर्म से खरीदने का सबूत प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ खोया सब–स्टैण्डर्ड फुड (Sub-standard Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री **सुभाष सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी**, मैसर्स शिव मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट, मण्डावा, जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 50,000/–अक्षरे पचास हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.03.05 11:56:18 IST
Reason: SelfAttested